न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

बईजलास –डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

भरण पोषण अपील संख्या– 57/2021
जी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2021/80

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
भंवरनाथ पुत्र श्री प्रेमनाथ उम्र 65 वर्ष जाति कालबेलिया निवासी बेराथल कलां तहसील खींवसर जिला नागौर, राज0		1. भरतनाथ पुत्र भंवरनाथ उम्र 30 वर्ष जाति कालबेलिया निवासी माडपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर। 2. मोडनाथ पुत्र भंवरनाथ उम्र 28 वर्ष जाति कालबेलिया निवासी माडपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर। 3. भाननाथ पुत्र भंवरनाथ उम्र 25 वर्ष जाति कालबेलिया निवासी माडपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर ।

आदेश दिनांक 09-12-2021

यह अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत, उपखण्ड मजिस्ट्रेट खींवसर द्वारा प्रकरण संख्या–3/2021 भंवरनाथ बनाम भरतनाथ में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2021 से व्यथित होकर दिनांक 19.07.2021 को यह अपील पेश की है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने जिला कलक्टर महोदय के समक्ष दिनांक 12.05.2021 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र जान माल की सुरक्षा व अप्रार्थीगण से भरण पोषण दिलाने हेतु पेश किया, उक्त प्रार्थना पत्र को कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा क्रमांक/न्याय/परिवाद/2021/5273–79 दिनांक 18.5.2021 को उपखण्ड अधिकारी खींवसर को भेज कर प्रार्थी को उसके पुत्रो से भरण पोषण भत्ता दिलाने व जान माल की रक्षा कराने बाबत आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार करने का लिखा व उसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक नागौर को भी भेजी गयी।

तत्पश्चात उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने उक्त आदेश की पालना में दिनांक 4.6.2021 को प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 3/2021 बअनवान भंवरनाथ बनाम भरतनाथ वगैरा दर्ज किया गया व उसमें बिना विधिक प्रकिया अपनाये व अप्रार्थीगण द्वारा अनुचित दबाव व राजनेतिक प्रभाव लगाने के कारण अधिनस्थ उपखण्ड मजिस्ट्रेट खींवसर ने बिना कोई जांच किये, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आनन फानन में ही दिनांक 12.7.2021 को प्रकरण का फैसला कर दिया जिसमें अधिनस्थ उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा भरण पोषण दिलाने का आदेश होने के बावजूद भरण पोषण का कोई आदेश अप्रार्थीगण के विरूद्व पारित नहीं करके मात्र यह लिख दिया गया कि भरण पोषण हेतु प्रार्थी के पुत्रगण तैयार है इस कारण आवेदन तथ्यों से गलत होना बताकर खारिज कर दिया गया, जिस आदेश से व्यथित होकर यह अपील की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:44 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्ध व न्याय के सामान्य सिद्धांतो के विपरीत पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट का यह विधिक दायित्व था कि भरण पोषण के मामले में अपीलांट के पुत्रगण अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान को स्पष्ट रूप से यह आदेश देना चाहिए था कि वे अपने पिता के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 5000–5000रू. अदा करे व इस हेतु प्रार्थी/अपीलांट के बैंक खाता नम्बर लेकर अप्रार्थीगण को प्रार्थी के बैंक खाता में

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

प्रतिमाह उक्तानुसार राशी जमा कराने का आदेश देकर पाबंद किया जाना चाहिए था, केवल मात्र यह लिख कर आवेदन खारिज कर देना कि अप्रार्थीगण भरण पोषण देने को तैयार है, कतई गलत है क्योकि अप्रार्थीगण किसी प्रकार का भरण पोषण नहीं देने व प्रार्थी के साथ टंटा फिसाद करने व जान से मारने पर आमादा हो जाने की स्थिति में ही प्रार्थी को उक्त कार्यवाही करनी पड़ी थी तो वैसी सुरत में अप्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से भरण पोषण राशी अधिरोपित कर उक्त राशी प्रतिमाह निश्चित तारीख तक अपीलांट के खाता में जमा करवाने का आदेश दिया जाकर पाबंद किया जाना आवश्यक होते हुऐ भी विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर ने सरसरी तौर पर ही आदेश जैर अपील पारित कर अपीलांट का आवेदन खारिज करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट अत्यंत बदमाश प्रवृति के लोग है केन येन केन प्रकारेण अपने पिता प्रार्थी को जान से मारने पर आमादा है तथा उसकी कोई सारसंभाल भरण पोषण नहीं कर रहे है तथा राजनेतिक रसूखात. रखने वालो लोगो व भूमाफियो के साथ रहने से उनके सहयोग से अनुचित दबाव व प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करवाया है व अब लगातार धमकियां देते है कि तुम्हारा आवेदन को खारिज करवा दिया है अब तुम्हे जान से मार कर काम तमाम करेगे व आये दिन प्रार्थी के साथ टंटा फिसाद, विवाद करते है प्रार्थी का जीना दुश्वार कर दिया है। अप्रार्थीगण खेती–बाड़ी, कमठा, करसा पशुपालन आदि के काम धंधे करते है जिन से तीनो पुत्रगण सभी खर्चे निकाल कर प्रतिमाह 20–20 हजार रूपये कमा लेते है। अपीलांट / प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है उसके आय का कोई स्रोत नहीं है अपीलांट / प्रार्थी के पुत्रो ने प्रार्थी को पूरी तरह से नेगलेट कर रखा है तथा उसका भरण पोषण नहीं कर रहे है। प्रार्थी ने अपने तीनों अप्रार्थीगण की परवरीश करके उनका विवाह आदि का सम्पूर्ण खर्चा वहन किया, प्रार्थी ने अपनी दो पुत्रीयो का विवाह भी किया जिसका खर्चा भी प्रार्थी ने ही वहन किया काफी कर्जा हो गया, अपने पुत्रो को मजदूरी करने लायक बनाया लेकिन जीवन के इस पड़ाव में प्रार्थी के पुत्रो ने प्रार्थी को असहाय हालत में छोड़ रखा है प्रार्थी का भरण पोषण नहीं कर रहे है प्रार्थी को जान से मारने की धमकियां देते है प्रार्थी के मांगने के बावजूद कोई भरण पोषण नहीं कर रहे है प्रार्थी का जीवन दुभर हो गया है। भरण पोषण व आय का कोई स्रोत नहीं है। प्राथी के पुत्रगण अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की पत्नी को भी बहकावे में लेकर प्रार्थी से अलग कर रखा है। प्रार्थी की स्थिति बहुत दयनीय हो गयी है जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थी के जायंदा पुत्रगण होने से प्रार्थी के भरण पोषण आदि की तमाम जिम्मेवारी तथा विधिक व नैतिक दायित्व अप्रार्थीगण का बनता है लेकिन अप्रार्थीगण अपने विधिक व नेतिक दायित्वों से विमुख हो रखे है मांगने के बावजूद प्रार्थी को भरण पोषण भत्ता अदा नहीं कर रहे है जिससे अपीलांट ने जिला मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष आवेदन पेश किया व जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट खींवसर को आदेश दिया इसके बावजूद उपखण्ड मजिस्ट्रेट खींवसर ने भरण पोषण भत्ता दिलाने का आदेश पारित नहीं किये है व अप्रार्थीगण को अनुचित फायदा पहुंचाया है। अपीलांट को इस मंहगाई के जमाने में भरण– पोषण, आवास–निवास, चिकित्सा सुविधा आदि के लिए 15000रू. प्रतिमाह की सख्त आवश्यकता रहती है इस कारण प्रार्थी के तीनो पुत्रगण अप्रार्थीगण प्रत्येक से प्रतिमाह 5000–5000रू. दिलाया जाना आवश्यक व न्याय संगत है व अपील स्वीकार योग्य होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलांट को रेस्पोडेन्टान प्रत्येक से प्रतिमाह 5000–5000रू. भरण पोषण भत्ता राशी दिलाने का आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को प्रतिमाह उक्तानुसार राशी देने हेतु पाबंद किया जावे व प्रार्थी की जान माल की रक्षा हेतु भी उचित आदेश प्रदान करने निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:44 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ने प्रस्तुत जबाब में अपील के कथनों को हूबहू दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट भंवरलाल ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर बेबुनियाद आधारो पर विधि विरूद्व अपील पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट भंवरनाथ कालबेलिया समाज का प्रदेशाध्यक्ष है व स्वयंभू बड़ा नेता बनकर समाज के लोगो पर दबाव बनाकर डरा धमकाता है तथा समाज में नेतागिरी करता रहता है। अयाशीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। दुसरी औरतः से अवैध सम्बन्ध रखता है तथा शराबी प्रवृति का व्यक्ति है। शराब का नशा करके उतरदातागण की माता यानि अपीलांट

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट नागौर

की पत्नी के साथ गाली गलोच व मारपीट करता रहा है तथा हमारी माता को छोड़ कर अन्य औरतो के साथ रंगरेलिया मनाता है व दुसरी औरत के साथ शादी करना चाहता है व विवाहित पत्नी की तरह अलग अलग औरतो को अपने साथ रख कर व्यभिचारीपूर्ण जीवन व्यतित करता है जिसको कई बार समझाईश करने व समाज के मौजीज व्यक्तियो को कहने से अपीलांट सख्त नाराज हो गया व अप्रार्थीगण अपने पुत्रो पर दबाव बनाने के लिए व उनकी आवाज दबाने के लिए व उनकी माता के साथ हो रहे अत्याचार पर पर्दा डालने के लिए अपीलांट ने सलाह मशविरा करके सरासर झुठी व बेबुनियाद कार्यवाही भरण पोषण आदि के लिए की है जबकि अपीलांट के भरण पोषण की कोई समस्या नहीं है संयुक्त परिवार की कमाई की आय व अन्य सम्पतियां सभी उसके पास ही है इसी कारण शराब पीकर अयाशी करता है। अपीलांट की पत्नी यानि हमारी माता पप्पुड़ी के अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट के यहां दिनांक 12.7.2021 को सशपथ बयान हुऐ जिसमें यह बयान कलमबद्ध हुऐ कि भंवरनाथ व पप्पुड़ी के वैवाहिक जीवन से तीन पुत्रगण भरतनाथ, मोडनाथ, भाननाथ तथा दो पुत्रीयां पुजा व पूनम हुऐ जो सभी शादीसुदा है मेरा पति भंवरनाथ अन्य स्त्री के साथ रहता है तथा मुझे तलाक देने केलिए जबरदस्ती कर रहा है भंवरनाथ गांव बेराथल में नहीं रहता है अपने पति धर्म का निर्वहन नहीं करता है अपनी पत्नी का भरण पोषण का दायित्व निर्वहन नहीं करता है जिससे मैं अपने पुत्रो के साथ गांव माडपुरा में निवास करती हूँ भंवरनाथ शराब पीकर मेरे व मेरे पुत्रो के साथ मारपीट करता है मेरे तीनो पुत्र मेरा व मेरे पति का भरण पोषण करने हेतु तैयार है इसलिए मेरे पति द्वारा भरण पोषण हेतु किया गया मुकदमा झुठा है मेरा पति भंवरनाथ परिवार के 10,00,000रू. लेकर गया है व दुसरी औरत को अपने साथ रखता है तथा अप्रार्थीगण / रेस्पोडेन्टान ने भी अधिनस्थ न्यायालय में सारे तथ्य प्रकट करते हुऐ जवाब पेश किया जिस पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण के जवाब, अपीलांट की पत्नी पप्पूड़ी के लिखित बयानो के आधार पर व अपीलांट / प्रार्थी के भरण पोषण हेतु उसके पुत्र तैयार होने व अपने पास रख कर सारसंभाल करने हेतु तत्पर होने से व प्रार्थी / अपीलांट के पास नकद धनराशी होने से अपीलांट प्रार्थी का आवेदन तथ्यहीन व गलत होने से खारिज किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट नागौर का उक्त आदेश विधि सम्मत था व है तथा सम्पूर्ण तथ्यो व परिस्थितियो को मध्य नजर रखते हुऐ पारित किया हुआ है। अपीलांट बहुत ही चालाक, चतूर व्यक्ति है तथ्यो को तोड़ मरोड़ कर प्रकट किये है तथा प्रदेशाध्यक्ष होने का उसे घमण्ड है व अपने पद का दुरूपयोग कर व्यभिचारी जीवन व्यतीत कर रहा है व अप्रार्थीया व उनकी माता पप्पुड़ी को परेशान करने व दबाव बनाने के लिए अपील पेश की है।

प्रकरण में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने तमाम तथ्यो को मध्य नजर रखते हुऐ विधि सम्मत आदेश पारित किया था, उतरदातागण अपने पिता अपीलांट का शुरू से ही मान सम्मान आदर सत्कार करते है तथा अपीलांट यदि व्यभिचारी जीवन छोड़ कर अपनी पत्नी के साथ व उतरदातागण के साथ सही व्यवहार रखे तो उतरदातागण रेस्पोडेन्टान जैसी दाल रोटी खाते है व अपने परिवार के सदस्यो व माता को खिलाते है वेसी दाल रोटी अपने पिता को खिलाने के लिए तैयार व तत्पर थे, है व रहेगे लेकिन अपीलांट अपना अयाशीपूर्ण व्यवहार व अनैतिक कृत्य छोड़ने को तैयार नहीं है इसलिए ऐसा पिता व पति जो अपनी संतानो व पत्नी पर जुल्म करता है उसको ऐसी कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है पहले अपीलांट अपने स्वयं के विधिक व नैतिक दायित्वो का निर्वहन करे व इस हेतु न्यायालय में लिखित में शपथ पत्र पेश करे व राजीखुशी अप्रार्थीगण के साथ रहने हेतु सहमत हो तो वैसी सुरत में ऐसी किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता ही नहीं रहती है मगर अपीलांट अपनी गलत आदतो से बाज नहीं आ रहा है व उनको ऐसा करने से मना करने व समझ[illegible]धित होकर दबाव बनाने के लिए रेस्पोडेन्टान के विरूद्ध बार बार झुठी शिकायते [illegible] कर रहा है व अन्य लोगो के साथ झुठी झुठी शिकायते करने के लिए अलग अलग कार्य[illegible] में फिरता रहता है ऐसी सुरत में अपीलांट के भरण पोषण आदि की कोई समस्या नहीं है। अपीलांट के पुत्रगण अपीलांट को साथ रख कर भरण पोषण जैसा माता का कर रहे है वैसा पिता का करने को तैयार है मगर पिता स्वयं अपने पुत्रो व पत्नी के साथ रहना ही नहीं चाहता है व अयाशी करता है अन्य औरतो के साथ अवैध सम्बन्ध बनाकर अपने साथ रखता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)
जिला मजिस्ट्रेट नागौर

है तो ऐसी स्थिति में उसको कथित राशी भरण पोषण हेतु दिलवाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है न ही अप्रार्थीगण के ऐसी कोई कमाई है न ऐसी राशी देने में सक्षम है न उतरदायी है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश जेर अपील बाद जांच व सम्पूर्ण प्रकिया अपना कर पारित किया है।

अपीलान्ट यह कथन गलत है कि अप्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट अत्यंत बदमाश प्रवृति के लोग हो जो केन केन प्रकरण अपने पिता प्रार्थी को जान से मारने पर आमादा हो तथा उसकी कोई सारसंभाल भरण पोषण नहीं कर रहे हो तथा राजनेतिक रसूखात रखने वाले लोगो व भूमाफियो के साथ रहने से उनके सहयोग से अनुचित दबाव व प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करवाया हो। अपीलांट को इस तरह से मनमर्जी से बिना किसी आधार के झुठे आक्षेप लगाने का कोई अधिकार नहीं है न ही ऐसे आधार व आक्षेप कतई माने जाने योग्य है केवल मात्र अपील पेश करने के दुराशय से इस तरह के झुठे कथन किये है। अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थीगण लगातार धमकियां देते हो कि तुम्हारा आवेदन को खारिज करवा दिया है अब तुम्हे जान से मार कर काम तमाम करेगे व आये दिन प्रार्थी के साथ टंटा फिसाद, विवाद करते हो तथा प्रार्थी का जीना दुश्वार कर दिया हो। जबकि अप्रार्थीगण ने ऐसी कोई धमकी कभी नहीं दी है न देने में सक्षम है अपने पिता का मान सम्मान आदर करते है जिसका अपीलांट नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण को तंग परेशान करता है अप्रार्थीगण व उनकी माता के साथ गाली गलोच व मारपीट करता है व उल्टा अप्रार्थीगण के विरूद्ध ही मिथ्या कार्यवाही कर रहा है। अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थीगण खेती–बाड़ी, कमठा, करसा पशुपालन आदि के काम धंधे करते हो जिन से तीनो पुत्रगण सभी खर्चे निकाल कर प्रतिमाह 20–20 हजार रूपये कमा लेते हो। जबकि अप्रार्थीगण के ऐसा कोई काम धंधा नहीं है बड़ी मुश्किल से छोटी बड़ी मजदूरी मिलती है तथा दो–तीन हजार प्रतिमाह कमा पाते है जिससे उनके परिवार के सदस्यो का पेट पालना भी दुभर हो रहा है फिर भी यदि अपीलांट राजीखुशी अप्रार्थीगण के साथ रहे तो रात दिन मेहनत करके अप्रार्थीगण अपने पिता का भी आदर के साथ भरण पोषण करने को तैयार थे व है। अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि अपीलांट / प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति हो व उसके आय का कोई स्रोत नहीं हो। यह भी गलत है कि अपीलांट / प्रार्थी के पुत्रो ने प्रार्थी को पूरी तरह से नेगलेट कर रखा हो तथा उसका भरण पोषण नहीं कर रहे हो। यह भी गलत है कि प्रार्थी ने अपने तीनों अप्रार्थीगण की परवरीश करके उनका विवाह आदि का सम्पूर्ण खर्चा वहन किया हो व प्रार्थी ने अपनी दो पुत्रीयो का विवाह भी किया जिसका खर्चा भी प्रार्थी ने ही वहन किया काफी कर्जा हो गया हो। जबकि विवाह आदि का खर्चा अप्रार्थीगण व सम्पूर्ण परिवार की संयुक्त कमाई व पुश्तेनी आय से हुआ था,अपीलांट ने कोई खर्चा वहन नहीं किया है बल्कि परिवार के 10 लाख रूपये अपीलांट जबरदस्ती लेकर चला गया व अयाशीपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है शराब व नशे की लत में रूपये उड़ा रहा है व पुत्रो 1 पर भरण पोषण की मिथ्या कार्यवाही कर रहा है जो अपीलांट की बदनियती को स्पष्ट दर्शाता है। यह गलत है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को जान से मारने की धमकियां देते हो व प्रार्थी के मांगने के बावजूद कोई भरण पोषण नहीं कर रहे हो व प्रार्थी का जीवन दुभर हो गया हो तथा भरण पोषण व आय का कोई स्रोत नहीं हो। यह भी गलत है कि प्रार्थी के पुत्रगण अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की पत्नी को भी बहकावे में लेकर प्रार्थी से अलग कर रखा हो। जबकि प्रार्थी अपीलांट ने अपनी पत्नी व पुत्रो को मारपीट करके परिवार की सारी सम्पति हड़प कर अलग कर दिया व मौज मस्ती कर रहा है व समझाने पर तथा समाज के लोगो को कहने पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के अनर्गल आक्षेप लगाकर मिथ्या कार्यवाही कर रहा है प्रार्थी अपीलांट का कोई भी कथन माने जाने योग्य नहीं है न कोई आधार व सबूत है। अपीलांट स्वयं [illegible] व नैतिक दायित्वो का निर्वहन नहीं रहा है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट खींवसर का आदेश विधि [illegible] है अपीलांट रेस्पोडेन्टान से ऐसी कोई राशी पाने का अधिकारी नहीं है न अप्रार्थीगण [illegible] हेतु सक्षम है [illegible] अप्रार्थीगण के पास ऐसे कोई आय के स्रोत है न इस बाबत कोई सबूत अपीलांट की ओर से पेश हुआ है अपीलांट ने वास्तविक तथ्य छुपा कर कमजोर अप्रार्थीगण को नाजायज तंग परेशान करने के लिए झुठी कार्यवाही की है अप्रार्थीगण कर्जा लेकर अपने बाल बच्चो व परिवार व माता का भरण पोषण कर बड़ी मुश्किल से जीवन व्यतीत कर रहे है लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर
जिला मजिस्ट्रेट नागौर।

अपीलांट अनावश्यक कार्यवाही करके अप्रार्थीगण को शारीरिक, मानसिक आर्थिक रूप से क्षति पहुंचा रहा है। अपीलांट को गलत आदते छोड़ कर राजीखुशी अप्रार्थीगण व अपनी पत्नी के साथ रहने हेतु उचित आदेश/निर्देश प्रदान करना आवश्यक व न्याय संगतहै। मेरा भाई मोडनाथ को मेरे पिताजी ने बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है, का कथन करते हुए अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जाकर अपीलांट को अपने विधिक व नैतिक दायित्वो के निर्वहन हेतु उचित निर्देश प्रदान करावे व राजीखुशी अप्रार्थीगण के साथ रहने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मोडनाथ प्रस्तुत जबाब में किये गये कथनों को हबहू दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता द्वारा उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय में पेश की है जिसमें मुझ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का निवेदन है कि मै अपने पिता को भारण पोषण भत्ता देने को तैयार हूँ व दीगर रेस्पोडेन्टान से भी नियमानुसार बराबर खर्चा दिलाने का आदेश दिया जावे। दीगर रेस्पोडेन्टान मेरे साथ साथ मेरे पिता के साथ भी गाली गलोच व मारपीट आदि की घटना का रहे है मेरे पिता द्वारा अपील पेश की है उसमें मुझे कोई आपति नहीं है। तीनो रेस्पोडेन्टान को बराबर बराबर भत्ता देने हेतु आदेशित किया जाकर अपील का निस्तारण करने में मैं सहमत हूँ। मेरे दीगर भाई मजदूरी, खेती बाड़ी आदि का काम करते है जिससे करीब 20–20 हजार रूपये प्रतिमाह कमा लेते है। मेरे पिता अपीलांट वृद्ध है इसलिए सभी रेस्पोडेन्टान से पृथक पृथक नियमानुसार उचित गुजारा भत्ता दिलवाये जाने का आदेश दिया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर नागौर के समक्ष दिनांक 17.05.2021 को उसके पुत्रगण अप्रार्थीगण से भरण पोषण भत्ता दिलाने व जान माल की रक्षा कराने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा पत्रांक–5273–74 दिनांक 18.05.2021 से अपीलान्ट का परिवाद जिला पुलिस अधीक्षक नागौर व उपखण्ड अधिकारी खींवसर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट खींवसर द्वारा उक्त संबंध में प्रकरण संख्या 03/2021 बअनवान भंवरनाथ बनाम भरतनाथ वगैरह दर्ज कर प्रकरण में सुनवाई के संबंध में कार्यवाही कर निर्णय जैर अपील दिनांक 12.07.2021 से प्रकरण खारिज कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 12.07.2021 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने दिनांक 12.07.2021 को जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि हमारे पिताजी के द्वारा हमे मिथ्या एवं झूठा नोटिस दिया गया क्योंकि हमारे पिताजी भंवरनाथ जो पिछले 6 महिने पहले हमारी माता पपूड़ीदेवी पत्नी भंवरनाथ व हमारे साथ मारपीट करके हमे बेदखल कर दिया एवं वर्तमान समय में किसी दूसरी औरत के साथ रहते है एवं आये दिन मेरी माता के साथ मारपीट करे रहते है के कारण मेरी माता हमारे पास रहने के लिए आगई है। हमारे पिताजी हमारे साथ शराब पीकर मारपीट करते एवं हमारी माता को कहते है कि तुम मुझे तलाक दो में दूसरी औरत जिसके साथ रहता हूँ उससे विवाह करना चाहता हूँ एवं माता को मारने की धमिया देता इस कारण मां भी हमारे साथ रहने के लिए आ गई है। उक्त जबाब पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 के अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या–2 मोडनाथ के हस्ताक्षर भी अंकित है। अब हस्तगत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 मोडनाथ ने जबाब प्रतुत कर कथन किया है कि दीगर रेस्पोडेन्टान मेरे साथ साथ मेरे पिता के साथ भी गाली गलोच व मारपीट आदि की घटना कर रहे है। मेरे पिता द्वारा अपील पेश की है, उसमे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत जबाब में किये गये कथन पूर्णतः विरोधाभाषी कथन है, इसलिए रेपोडेन्ट संख्या–2 द्वारा जबाब [illegible] के पक्ष में किये गये कथन स्वीकार किये जाने योगय नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:44 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट की पत्नी पपुड़ी ने दिनांक 12.07.2021 को अधिनस्थ न्यायालय में अपने शपथ बयानों में कथन किया है कि मेरा विवाह भंवरनाथ के साथ हुआ है। मेरे व भंवरनाथ के तीन पुत्र भरतनाथ, मोडनाथ, भाननाथ एवं दो पुत्रिया पूजा एवं पूनम है। हमने सभी पुत्र व पुत्रियों का विवाह कर दिया है। मैं वर्तमान में अपने तीनों पुत्रों के साथ रहती हूँ। मेरा पति जो कि घर में कमाने वाला एक मात्र व्यक्ति है

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

वह मेरे से किसी अन्य स्त्री के साथ रहता है एवं गत पांच महिनो से मुझे तलाक देने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। पांच महिने पूर्व मेरा पति घर से गया था जो अपने साथ दस लाख रूपये नकल भी ले गया था। मेरे पति के द्वारा मेरा भरण पोषण नहीं करने से अपने पुत्रों के पास मे रहती हूँ। मेरा पति शराब पीकर मेरे व मेरे पुत्रों के साथ मारपीट करता है। मेरे पति द्वारा पुत्रों पर किया गया भरण पोषण का मुकदमा झूठा है। अपीलान्ट की पत्नी पपुड़ी ने हस्तगत अपील की बहस के दौरान भी न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर स्वंय के उक्तानुसार कथनों की पुनः ताईद की। श्रीमति पपूड़ी जो की अपीलान्ट की पत्नी है, उसके कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा जबाब में किये गये कथनों की श्रीमति पपुड़ी के बयानों से पुष्टि होती है। अपीलान्ट की पत्नी द्वारा सशपथ अधिनस्थ न्यायालय में दिये गये बयान से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पास रूपये भी है एवं वह खाने एवं कमाने में भी सक्षम व्यक्ति है। प्रकरण में अपीलान्ट ने प्रत्येक रेस्पोडेन्ट की मासिक आय 20,000/–रूपये प्रतिमाह होने का कथन अवश्य किया है, परन्तु 20,000/–रूपये प्रतिमाह आय होने के संबंध में कोई ठोस एवं प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। केवल कथन मात्र के आधार पर 20,000/–रूपये प्रतिमाह आय होना नहीं माना जा सकता है। इसके विपरित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 द्वारा मजदूरी से दो–तीन हजार रूपये बमुश्किल कमाना बताया है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 द्वारा अपीलान्ट को गलत आदत छोड़कर राजीखुशी अप्रार्थीगण व अपनी पत्नी के साथ रहने हेतु निर्देशित करने का भी निवेदन किया गया है। अपीलान्ट की पत्नी द्वारा भी प्रकरण में अपीलान्ट पर उसका भरण पोषण नहीं करने, शराब पीकर मारपीट करने के गम्भीर आरोप लगाये है। वर्तमान में अपीलान्ट की पत्नी रेस्पोडेन्ट अपने पुत्रों के पास रह रही है। इस प्रकार उपर्युक्तानुसार समग्र तथ्यों को देखते हुए प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट खींवसर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट खींवसर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय प्रमाणित भी पालना हेतु भिजवाई जावे। निर्णय की एक–एक प्रमाणित प्रति अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स को भी नियमानुसार निशुल्क पंजीकृत डाक द्वारा भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:44 IST
Reason: SelfAttested